

status-in
Principal
Send email on
19/6/24 at 11:04 PM

181

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-9558/1736

दिनांक: 09-06-2024

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुरुग्राम ।

विषय : Diversion of 0.16 ha. of forest land in favour of Project Director, CMU, NHAI, Mathura at Faridabad for construction of 6 lane access controlled highway from Junction Jaitpur-Pusta road to Junction Sec-62/65 road on Faridabad-Ballabgarh Bypass of NH 148 NA, under forest division and District Gurugram, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/44420/2020

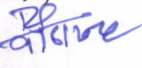
संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-9558/8935 दिनांक 7-12-2020 ।

उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिसमें इस कार्यालय के संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हो चुकी है ।

2. प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् विषयोक्त उद्देश्य हेतु 0.16 है० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है :-

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- (ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 28 से अधिक नहीं होगी । इसके अतिरिक्त इस केस में 10 पौधे नष्ट होंगे । अतः इन 28 वृक्षों (वाल्युम 50.59 m³) को कटवाने व 10 पौधे नष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
- (iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण/अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 505223+50522=555747/- रुपये की राशि से section 4 & 5 area of Village Damdama में 320+20=340 पौधे लगा कर किया जाएगा ।
- (iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण/अतिरिक्त प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
- (v) वन भूमि का उपयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।
- (vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी ।
- (vii) प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आई0आर0सी0 की दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़क के दोनों ओर व मध्य भाग पर पट्टी पौधारोपण किया जाएगा ।
- (viii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किये जाएंगे ।
- (ix) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजेंसी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।
- (x) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।

- (xi) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।
 - (xii) प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी ।
 - (xiii) प्रयोक्ता एजेंन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।
 - (xiv) प्रयोक्ता एजेंन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।
 - (xv) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजेंन्सी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी । प्रत्येक खम्भे पर कम संख्या, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक तथा एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएगी ।
 - (xvi) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी ।
 - (xvii) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
 - (xviii) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजेंन्सी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी ।
 - (xix) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास के लिए समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
 - (xx) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप **Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019** के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
 - (xxi) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजेंन्सी व राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी ।
3. राज्य सरकार इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है ।


 9/6/21
 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0)
 कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, 
 पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, गुरुग्राम ।
3. Project Director, CMU, NHAI, Mathura.